न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर॰ए॰एस॰)

मुकदमा नम्बर 220/2019

दायर दिनांक–18.11.2019

1. श्री विधाधर पुत्र श्री भगवानाराम जाति जाट निवासी पबाना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू। – वादी

बनाम

1. बनवारी लाल पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी पबाना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
2. भारतीय स्टेट बैंक शाखा मुकुन्दगढ़ जिला झुन्झुनू (राज॰) जरिये शाखा प्रबन्धक।
3. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री प्रदीप कुमार झाझड़िया
वकील प्रति॰ :– श्री सुनील कुमार झाझोंट

दावा बाबत विभाजन

:: निर्णय ::

दिनांक– 06.12.2019

वादी ने एक वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पबाना तहसील नवलगढ की सरहद में आराजी नये खसरा नम्बर 251/0.04900, 252/0.6610 कुल किता 2 कुल रकबा 0.71 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजी में वादी एं प्रतिवादी संख्या 1 की शामलाती खातेदारी की भूमि है। जिसके आग्र वाद पत्र में सुविधि के लिए उक्त आराजी को वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर–बराबर 1/2, 1/2 हिस्सा है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त आराजी का मौके पर अपने हिस्सेनुसार विभाजन कर रखा है। खसरा नम्बर 252/0.6610 में से पश्चिमी तरफ की 0.3550 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आई है। जिसमें प्रतिवादी 1 ने अपने पुख्ता बना रखे है। प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आई भूमि को संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया है तथा खसरा नम्बर 252 रकबा 0.6610 हैक्टर में से पूर्वी तरफ की 0.3360 हैक्टर व खसरा नम्बर 251 रकबा 0.0490 हैक्टर कुल किता 0.3550 हैक्टर भूमि वादी के हिस्से में आई है वादी ने अपने हिस्से में आई भूमि में पुख्ता मकान व टयूबवैल बना रखा है तथा विधुत कनेक्शन ले रखा है। वादी के हिस्से में आई भूमि को संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शित किया गया है। संलग्न नजरी नक्शे को वाद पत्र का अभिन्न अंग समझा जायेगा व वाद पत्र के साथ ही पढा जायेगा। वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नही होने से वादी को अपने हिस्से की भूमि में सुधार कार्य करने व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभा प्राप्त करने में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिये वादी संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित अनुसार अपने हिस्से मे आई भूमि विधिवत

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

विभाजन करवाना चाहता है। वादी वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदारी काश्तकार है। वादग्रस्त आराजी का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सेनुसार संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित अनुसार विभाजन किये जाने में बाधा का कोई कारण नही है। इसलिए वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी को संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि का अलग–अलग खाता कायम किया जावे व अलग–अलग सीमा व लगान कायम किया जावे। जिसके लिए उक्त वाद श्रीमानजी की सेवामें पेश है। वादी वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदारी काश्तकार है जिसकों अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन करवाने के लिए वादाधिकार हमेशा ही प्राप्त है तथा लगातार जारी है। वादग्रस्त आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा मुकुन्दगढ के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त बैंक का विलय भारतीय स्टेट बैंक मे हो गया है। इसलिए भारतीय स्टेट बैंक को दावे में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त आराजी अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार में स्थित है। इसलिए अदालत हाजा को उक्त वाद सुनने का पूर्ण रूप से क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

वादी ने वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि ग्राम पबाना की सरहद में स्थित भूमि ग्राम पबाना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू में आराजी नये खसरा नम्बर 251/0.0490, 252/0.6610 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.71 हैक्टर का संलग्न नजरी नक्शे से दर्शित अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि का अलग–अलग खाता विभाजन किया जावे व अलग–अलग सीमा व लगान कायम किया जावे तथा राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जावे अन्य कोई सिद्धी जो चाही जाने से रह गई और वादी के पक्ष में पड़ती है वह भी दिलवाई जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से वकील श्री सुनिल कुमार ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 की बाजवूद सम्यक तामिल के अनुपस्थित न्यायालय रहने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से एकबालिया जवाब प्रस्तुत कर सहमति प्रदान की है कि वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 उतरदाता की हिस्से की भूमि का विभाजन करने पर उतरदाता का कोई ऐतराज नही है। प्रकरण में एकबाली जवाब एवं विभाजन हेतु सहमति प्रदान करने पर तनकीयात की आवश्यकता नही है।

बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। बहस बगौर समाहत की गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम पबाना सम्वत् 2075–2078 के अनुसार ग्राम पबाना की सरहद में स्थित आराजी खसरा नम्बर 251/0.0490, 252/0.6610 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7100 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की 1/2, 1/2 हिस्से का शामलाती खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड वादग्रस्त आराजियात शामलाती खातेदारी की है। वादी एवं प्रतिवादी द्वारा विधिवत विभाजन चाहा गया है। विभाजन के लिए पक्षकारान में सहमति भी प्रदान की गई है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम पबाना की सरहद में स्थित आराजी खसरा नम्बर 252 रकबा 0.6610 में से पश्चिमी तरफ का 0.3550 हेक्टर का प्रतिवादी नम्बर 1 को, व उक्त खसरा नम्बर 252 रकबा 0.6610 हैक्टर मे से शेष भूमि 0.3060 पूर्वी तरफ का व खसरा संख्या 251 रकबा 0.0490 हैक्टर का वादी को वाद पत्र के साथ प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा व निर्णय के साथ ही पढा जायेगा। प्रतिवादी नम्बर 03 को आदेशित किया जाता है कि जिस खातेदार का हिस्सा बैंक के रहन दर्ज है उसी के रहन दर्ज करते हुये राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त निर्णयानुसार अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 06.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.01.24 18:28:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: